

506 (34)

(7)

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला सीधी (म0प्र0)

कमांक / पुअ0 / सीधी / शिका / प्रति / 80 / 2009 दिनांक 04/05/09

प्रति,

निर्देशक

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोकनायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली ।

बिषय :- आवेदक श्यामलाल सिंह पिता नैपाल सिंह गौड सा० सिलवार थाना मझौली जिला सीधी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की जांच के संबंध में ।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र0/मप्र/एसटी 25/2006/अत्याचार/आयू 3 दिनांक 27.10.08

बिषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से बिषयांकित शिकायत पत्र जांच हेतु प्राप्त हुई जिसकी जांच कराई गई जिसका प्रतिवेदन विन्दुवार निम्नानुसार है :-

1/ आवेदक का नाम व पता:- श्यामलाल सिंह पिता नैपाल सिंह गौड सा० सिलवार थाना मझौली जिला सीधी ।

2/ 601-102/आरोपी गणों का नाम वल्दियत एवं पता :- रामहित सा० गिजवार ।

3/ आवेदक द्वारा लगाए गए आरोप :- मृतक दिनेश प्रताप सिंह की संदेहास्पद मृत्यु की जाँच बावत ।

4/ जांचकर्ता अधिकारी का नाम:- श्री आर०एस०आद्या उप पुलिस अधीक्षी अजाक० जिला सीधी ।

5/ जांच में पाए गए तथ्य :- शिकायत पत्र की जाँच कराई गई । जाँच पर पाया गया कि दिनांक 19.10.05 को सूचनाकर्ता हीरालाल सिंह सा० सिलावट की सूचना पर कि दिनेश प्रताप सिंह स्वयं की चक्की घर में फासी लगाकर आत्महत्या कर लिया है । सूचना पर मर्ग क्र0 105/05 धारा 174 जाफौ० कायम कर जाँच में लिया जाकर शव का पंचनामा एवं पीएम० कराया गया । प्राप्त पीएम० रिपोर्ट में डाक्टर ने "mode of death was ASPHYXIA and nature of death ANTIMORTEM HANGING" लेख किया है । दौरान मर्ग जाँच पाया गया कि मृतक दिनेश प्रताप सिंहकी आटा चक्की में इतनी पिसाई नहीं होती थी कि बिजली के बिल का भुगतान कर सके बिल ज्यादा हो जाने एवं कहीं से मदद न मिलने से परेशान होने की वजह से मृतक दिनेश प्रताप सिंह अपने चक्की में फासी लगाकर आत्महत्या किया है ।

6/ जांच का निष्कर्ष :- सम्पूर्ण जाँच पर पाया गया कि सूचनाकर्ता हीरालाल सिंह की सूचना पर मर्ग क्र0 105/05 धारा 174 जाफौ० कायम कर जाँच में लिया जाकर शव का पंचनामा एवं पीएम० कराया गया । प्राप्त पीएम० रिपोर्ट में डाक्टर ने "mode of death was ASPHYXIA and nature of death ANTIMORTEM HANGING" लेख किया है । दौरान मर्ग जाँच पाया गया कि मृतक दिनेश प्रताप सिंहकी आटा चक्की में इतनी पिसाई नहीं होती थी कि बिजली के बिल का भुगतान कर सके बिल ज्यादा हो जाने एवं कहीं से मदद न मिलने से परेशान होने की वजह से मृतक दिनेश प्रताप सिंह अपने चक्की में फासी लगाकर आत्महत्या किया है । आवेदक द्वारा लगाये गये आरोप अप्रमाणित पाये गये हैं । अतः अंतिम जांच प्रतिवेदन मय मूल शिकायत पत्र के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है ।

संलग्न :- जाँच प्रतिवेदन मय मूल शिकायत पत्र

पुलिस अधीक्षक
जिला सीधी(म0प्र0)